

बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, पटना-800001

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना में लेखा—सह—रोकड़पाल के 01 रिक्त पद पर सेवानिवृत्त कर्मी के संविदा आधारित नियोजन हेतु वॉक—इन—इन्टरभ्यू के आयोजन की सूचना :—

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना द्वारा “लेखा —सह—रोकड़पाल” के 01 रिक्त पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु “बिहार राज्य आपदा प्रबंधन (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली, 2012” एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या—10000 दिनांक—10.7.2015 एवं पत्रांक 3815 दिनांक 11.03.2016 में निहित प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए दिनांक 26.06.2019 को 10:00 बजे पूर्वां 1:00 बजे अपां तक एक “वॉक—इन—इन्टरभ्यू” का आयोजन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, द्वितीय तल, पंत भवन, पटना में किया गया है। इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं परिलक्षियाँ निम्नवत् होंगी :—

क्र०	पद का नाम	पद की संख्या	आरक्षण रोस्टर	शैक्षणिक योग्यता /अनुभव	उम्र	परिलक्षियाँ
1	लेखा—सह—रोकड़पाल	01	अत्यंत पिछड़ा वर्ग—01	बिहार सचिवालय सेवा या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त कर्मी/पदाधिकारी अथवा महालेखाकार कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मी/पदाधिकारी, जिन्हें लेखा कार्यों का पर्याप्त अनुभव हो। वाणिज्य स्नातक कर्मी को अधिमानता दी जायेगी।	62 वर्ष (अधिकतम)	सरकारी प्रावधानानुसार

2. अर्थर्थी अपने साथ विहित प्रपत्र में हस्तालिखित अथवा टंकित आवेदन पत्र के साथ—साथ दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, सेवा से संबंधित अभिलेख, पी०पी०ओ०, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ का एक सेट साथ में लायेंगे। साथ ही इनकी मूल प्रतियाँ भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. नियोजन से संबंधित विस्तृत सूचना/शर्तें एवं आवेदन प्रपत्र प्राधिकरण के वेबसाईट www.bsdma.org पर अवलोकन/डाउनलोड की जा सकती है।
4. आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही देय होगा।


(साँवर मारती)
संविव

लेखा-सह-रोकड़पाल के पद पर सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा आधारित नियोजन की सूचना / शर्तें :-

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अन्तर्गत “लेखा-सह-रोकड़पाल” 01 रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजन हेतु ‘बिहार राज्य आपदा प्रबंधन (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली, 2012’ एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.7.2015 एवं पत्रांक-3815 दिनांक 11.3.2016 में निहित प्रावधानों के तहत यह नियोजन किया जा रहा है।

1. उक्त पद पर संविदा के आधार पर चयन प्रथम चरण में 03 (तीन) वर्षों अथवा प्रतिनियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। संविदा पर नियोजन की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष होगी। तीन वर्षों (अथवा कम) की समाप्ति के पश्चात आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष के लिए नियोजन अवधि का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत अधिकतम 65 वर्षों की आयु तक के लिए किया जा सकेगा।

2. नियोजित कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी। नियोजन अवधि का विस्तार नहीं होने की स्थिति में नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000, दिनांक 10.7.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

4. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5. नियोजन हेतु सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

6. आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि

(क) उनके विरुद्ध निगरानी का कोई मामला नहीं चल रहा है।

(ख) उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ग) कभी किसी मामले में दंडित नहीं है।

(घ) उनके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

7. नियोजन के समय स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वोरथ्य प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

8. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित कर्मियों को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना द्वारा नियोजित एवं पदस्थापित किया जायेगा।

9. प्राप्त आवेदन के आधार पर नियोजन की कार्रवाई के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3815, दिनांक-11.03.2016 में निर्धारित मापदंडों का अनुपालन किया जाएगा।

10. संविदा पर नियोजित किये जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मी की कुल संख्या/कोटिवार संख्या में परिवर्तन (कम/अधिक) करने की शक्ति प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगी।

11. मानेदय:-नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय प्रावधानानुसार उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी, वही होगी, जो कि उनके संविदा अवधि तक स्थिर रहेगी।

12. लेखा / नजारत / विपत्र एवं कोषागार कार्यों का कम से कम पाँच वर्षों के अनुभव वाले आवेदकों एवं वाणिज्य संकाय के स्नातकों को अधिमानता दी जा सकेगी।

13. इच्छुक सेवानिवृत्त कर्म प्राधिकरण के द्वारा बेवसाइट पर अपलोड आवेदन पत्र में अपना पूर्ण विवरणी हस्तलिखित / टंकित रूप में भर कर आवश्यक अभिलेखों एवं फोटोग्राफ के साथ वाँक-इन-इनटरभ्यू के समय उपस्थापित करेंगे। आवेदन प्रपत्र सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, द्वितीय तल, पंत भवन, पटना-800001 को संबोधित किया जायेगा।

(संक्षिप्त)
(साँकर भारती)

सचिव

महाराजा शिव तारी (८०) के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए अधिकारी के रूप में भर्ती के लिए इस विवरण के अनुसार आवेदन प्रपत्र के विवरणों की विवरणी लिख भर दिया गया है। इस विवरण के अनुसार आवेदन प्रपत्र के विवरणों की विवरणी लिख भर दिया गया है। इस विवरण के अनुसार आवेदन प्रपत्र के विवरणों की विवरणी लिख भर दिया गया है।

महाराजा शिव तारी (८०) के अनुसार आवेदन प्रपत्र के विवरणों की विवरणी लिख भर दिया गया है। इस विवरण के अनुसार आवेदन प्रपत्र के विवरणों की विवरणी लिख भर दिया गया है।

महाराजा शिव तारी (८०) के अनुसार आवेदन प्रपत्र के विवरणों की विवरणी लिख भर दिया गया है। इस विवरण के अनुसार आवेदन प्रपत्र के विवरणों की विवरणी लिख भर दिया गया है।

महाराजा शिव तारी (८०) के अनुसार आवेदन प्रपत्र के विवरणों की विवरणी लिख भर दिया गया है। इस विवरण के अनुसार आवेदन प्रपत्र के विवरणों की विवरणी लिख भर दिया गया है।

महाराजा शिव तारी (८०) के अनुसार आवेदन प्रपत्र के विवरणों की विवरणी लिख भर दिया गया है।

महाराजा शिव तारी (८०) के अनुसार आवेदन प्रपत्र के विवरणों की विवरणी लिख भर दिया गया है।

महाराजा शिव तारी (८०) के अनुसार आवेदन प्रपत्र के विवरणों की विवरणी लिख भर दिया गया है।

महाराजा शिव तारी (८०) के अनुसार आवेदन प्रपत्र के विवरणों की विवरणी लिख भर दिया गया है।

महाराजा शिव तारी (८०) के अनुसार आवेदन प्रपत्र के विवरणों की विवरणी लिख भर दिया गया है।

महाराजा शिव तारी (८०) के अनुसार आवेदन प्रपत्र के विवरणों की विवरणी लिख भर दिया गया है।

महाराजा शिव तारी (८०) के अनुसार आवेदन प्रपत्र के विवरणों की विवरणी लिख भर दिया गया है।

102

संविदा आधारित लेखापाल—सह—रोकड़पाल के पद पर नियोजन हेतु
आवेदन पत्र का प्रपत्र।

अद्यतन
स्व—अभिप्रामाणित
पासपोर्ट साईज
फोटो चिपकायें।

1	सेवानिवृत्त कर्मी/पदाधिकारी का नाम, पदनाम (मोबाईल नं० सहित)	
2	अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम:-	
3	जन्म तिथि:-	
4	पत्राचार का पता:-	
5	स्थायी पता:-	
6	शैक्षणिक योग्यता	
7	सेवा में नियुक्ति की तिथि:-	
8	सेवानिवृत्ति की तिथि:-	
9	विभाग/संस्थान का नाम जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत्त हुआ है:-	
10	विभिन्न विभागों में अलग—अलग कार्य अवधि का विवरण:-	
11	अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद/ निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं ?	
12	क्या अभ्यर्थी आरक्षण की श्रेणी में आता है, यदि हाँ, तो आरक्षण कोटि	

आवेदक का हस्ताक्षर

तिथि:.....

स्थान:.....